रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01032023-243975 CG-DL-E-01032023-243975

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 144] No. 144] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 28, 2023/फाल्गुन 9, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 28, 2023/PHALGUNA 9, 1944

भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2023

संदर्भ: HQ-PUB012/1/2020-PUB-BIS (530).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानकों के विवरण इसमें संलग्न अनूसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं। चौथे स्तंभ में दिये गये मानकों के विवरण, यदि कोई हो तो वे भी साथ-साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए जाने हैं।

अनुसूची

क्रम	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या,	प्रतिस्थापन तिथि	भारतीय मानकों, यदि वापस लिए	वापस होनें की
सं.	वर्ष तथा शीर्षक		जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा	तिथि
			शीर्षक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस 8164 : 2023	24 फरवरी,	आई एस 8164 : 1976	
	रेन्फोर्सिंग के बिना अस्पताल रबड़	2023	रेन्फोर्सिंग के बिना अस्पताल रबड़	24 नवम्बर,
	शिटिंग — विशिष्टि		शिटिंग के लिए विशिष्टि	2023
	(पहला पुनरीक्षण)			

1347 GI/2023 (1)

2	आई एस 9532 : 2023	24 फरवरी,	आई एस 9532 : 1980	24 नवम्बर,
	चक्का और श्रीखंड — विशिष्टि	2023	चक्का और श्रीखंड के लिए विशिष्टि	2023
	(पहला पुनरीक्षण)			

पी राजेश, वैज्ञानिक एफ और उपमहानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी , टी एन एम)

[विज्ञापन-III/4/असा./670/2022-23]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2023

Ref: HQ-PUB012/1/2020-PUB-BIS (530).—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated against it in third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column.

SCHEDULE

Sl	No., Year & Title of the Indian	Date of	No. , Year & Title of the Indian	Date of
No.	Standards Established	Establishment	Standards to be withdrawn, if	withdrawal
			any	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS 8164 : 2023	24 February,	IS 8164 : 1976	24 November,
	Hospital Rubber Sheeting without	2023	Specification for Hospital Rubber	2023
	Reinforcing Fabric — Specification		Sheeting without Reinforcing	
	(First Revision)		Fabric	
2	IS 9532 : 2023	24 February,	IS 9532 : 1980	24 November,
	Chakka and Shrikhand —	2023	Specification for Chakka and	2023
	Specification		Shrikhand	
	(First Revision)			

P. RAJESH, Scientist F and DDG (ITS, PRT and TNM)

[ADVT.-III/4/Exty./670/2022-23]